

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम लिमिटेड की सीएसआर गतिविधियों पर वार्षिक प्रतिवेदन

1 अप्रैल 2020 को आरंभ हुए वित्तीय वर्ष या उसके दौरान

1.	कंपनी की सीएसआर नीति पर संक्षिप्त रूपरेखा	1. कार्य किये जाने वाले क्षेत्रों को पहचानना, हितधारकों की अपेक्षाओं को ध्यान में रखना जो एनसीआरटीसी द्वारा चयनित क्षेत्रों, परियोजनाओं या कार्यक्रमों में परिणाम—आधारित और प्रभाव उत्पन्न कर सकती हैं, जिन्हें एनसीआरटीसी सीएसआर के लिए शुरू करने की योजना बना रहा है। 2. इन सीएसआर परियोजनाओं या कार्यक्रमों के निष्पादन की पद्धतियाँ एवं प्रक्रियाएं। 3. ऐसी सीएसआर परियोजनाओं या कार्यक्रमों की प्रक्रिया पर नजर रखना। 4. उपरोक्त उद्देश्य के लिए पर्याप्त रूप से सशक्त संगठनात्मक संरचना का निर्माण करना।		
2.	सीएसआर समिति की संरचना:			
क्र. सं.	निदेशक का नाम	निदेशक का पद और प्रवृत्ति	वर्ष के दौरान आयोजित सीएसआर समिति की बैठकों की संख्या	वर्ष के दौरान सीएसआर समिति की बैठकों की संख्या में भाग लिया
i.	श्रीमती अर्चना अग्रवाल, सदस्य सचिव, एनसीआरपीबी	अध्यक्ष	1	1
ii.	श्री दीपक कुमार, उत्तर प्रदेश के नामित निदेशक	सदस्य	1	-
iii.	श्री संजय रस्तोगी, रेल मंत्रालय के नामित निदेशक	सदस्य	1	1

3.	वह सभी वेब-लिंक प्रदान करें जहां कंपनी की वेबसाइट पर सीएसआर समिति की संरचना, सीएसआर नीति और बोर्ड द्वारा अनुमोदित सीएसआर परियोजनाओं को प्रकट किया गया है	https://www.ncrtc.in/csr/
4.	कंपनी (कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व नीति) नियम, 2014 के नियम 8 के उप-नियम (3) के अनुपालन में की गयी सीएसआर परियोजनाओं के प्रभाव मूल्यांकन का विवरण प्रदान करें (रिपोर्ट संलग्न करें), यदि लागू हो,	लागू नहीं
5.	वित्तीय वर्ष के लिए निर्धारित करने के लिए आवश्यक राशि और कंपनीज (कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी पालिसी) नियम 2014 के नियम 7 के उपनियम 3 के अनुपालन में निर्धारित किए जाने के लिए उपलब्ध राशि का विवरण	लागू नहीं

क्र. सं.	वित्तीय वर्ष	पिछले वित्तीय वर्ष से उपलब्ध सेट ऑफ निधि/राशि (रूपए में)	इस वित्तीय वर्ष से उपलब्ध की जाने वाली सेट ऑफ निधि/राशि (रूपए में)
i.	2017-18	-	-
ii.	2018-19	-	-
iii.	2019-20	-	-
	कुल	-	-

लाख में रूपए

6.	धारा 135 (5) के अनुसार कंपनी का औसत शुद्ध लाभ।			1399.30
7.	(क)	वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए अधिनियम की धारा 135 (5) के अनुसार कंपनी के औसत शुद्ध लाभ का दो प्रतिशत		27.99
	(ख)	पिछले वित्तीय वर्षों की सीएसआर परियोजनाओं या कार्यक्रमों या गतिविधियों से उत्पन्न अधिशेष।		1.48
	(ग)	वित्तीय वर्ष के लिए समायोजित करने के लिए आवश्यक राशि, यदि कोई हो।		-
	(घ)	वित्तीय वर्ष के लिए कुल सीएसआर दायित्व (7a+7b-7c)		29.47

8. (क) वित्तीय वर्ष के लिए खर्च या अव्ययित सीएसआर राशि:

वित्तीय वर्ष के लिए व्यय की गई कुल राशि (रूपये में)	अव्ययित राशि (रूपये में)				
	धारा 135(6) के अनुसार अव्ययित सीएसआर खाते में हस्तांतरित कुल राशि		धारा 135(5) के द्वितीय प्रावधान के अनुसार धारा VII के अंतर्गत किसी विशेष फंड में हस्तांतरित राशि		
	राशि	स्थानांतरण की तिथि	फंड का नाम	राशि	स्थानांतरण की तिथि
-	29.47 लाख	30.04.2021	लागू नहीं	.	लागू नहीं

(ख) वित्तीय वर्ष के लिए चल रही परियोजनाओं के लिए व्यय की गयी सीएसआर राशि का विवरण: लागू नहीं

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	
क्र. सं.	परियोजना का नाम	अधिनियम की धारा VII में गतिविधियों की सूची से आइटम	स्थानीय क्षेत्र (हां/ नहीं)।	परियोजना का स्थान	परियोजना अवधि	परियोजना के लिए आवंटित राशि (रूपये में)	चालू वित्तीय वर्ष में व्यय की गई राशि (रूपये में)	धारा 135(6) के अनुसार परियोजना के लिए अव्ययित सीएसआर खाते में हस्तांतरित राशि (रूपये में)	कार्यान्वयन का तरीका- प्रत्यक्ष (हां/ नहीं)।	कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से	नाम	सीएसआर पंजीकरण-राशन संख्या
				राज्य	जिला							
लागू नहीं												
योग												

(ग) वित्तीय वर्ष के लिए चल रही परियोजनाओं के अलावा अन्य परियोजनाओं पर व्यय की गई सीएसआर राशि का विवरण: लागू नहीं

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	
क्र. सं.	परियोजना का नाम	अधिनियम की धारा VII में गतिविधियों की सूची से आइटम	स्थानीय क्षेत्र (हां/ नहीं)।	परियोजना का स्थान	परियोजना अवधि	परियोजना के लिए आवंटित राशि (रूपये में)	चालू वित्तीय वर्ष में व्यय की गई राशि (रूपये में)	नाम	सीएसआर पंजीकरण-राशन संख्या
				राज्य	जिला				
लागू नहीं									
योग									

लाख में रूपए

(घ)	प्रशासनिक ओवरहेड में व्यय की गयी राशि।	शून्य
(ई)	प्रभाव आकलन पर खर्च की गई राशि, यदि लागू हो।	शून्य
(च)	वित्तीय वर्ष के लिए खर्च की गई कुल राशि (8b+8c+8d+8e)	शून्य

(छ) समायोजन के लिए अतिरिक्त राशि, यदि कोई हो

क्र. सं.	विशेष	लाख में रूपए
(i)	धारा 135(5) के अनुसार कंपनी के औसत शुद्ध लाभ का दो प्रतिशत।	27.99
(ii)	वित्तीय वर्ष के लिए व्यय की गई कुल राशि।	-
(iii)	वित्तीय वर्ष के लिए व्यय की गई अतिरिक्त राशि [(ii)-(i)]	-
(iv)	सीएसआर परियोजनाओं या पिछले वित्तीय वर्षों के कार्यक्रमों या गतिविधियों से उत्पन्न अधिशेष, यदि कोई हो।	-
(v)	आगामी वित्तीय वर्षों में समायोजन के लिए उपलब्ध राशि [(iii)-(iv)]	-

9. (क) पिछले तीन वित्तीय वर्षों के लिए अव्ययित सीएसआर राशि का विवरण:

क्र. सं.	पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष	धारा 135 (6) के अंतर्गत अव्ययित सीएसआर खाते में हस्तांतरित राशि (लाख में रूपए)	प्रतिवेदित वित्तीय वर्ष में व्यय की गई राशि (लाख में रूपए)	धारा 135(6) के अनुसार धारा VII के अंतर्गत निर्दिष्ट किसी भी फंड में स्थानांतरित राशि, यदि कोई हो तो	शेष राशि को वित्तीय वर्षों के सफल समापन में खर्च किया जाना है। (लाख में रूपए)
1	2017-18	-	-	-	-
2	2018-19	-	-	-	-
3	2019-20	-	30	पीएम केयर्स	30
	योग		30	पीएम केयर्स	30
				03.04.2020	03.04.2020
				1.48	1.48

(ख) पिछले वित्तीय वर्ष (वर्षों) की चल रही परियोजनाओं के लिए वित्तीय वर्ष में व्यय की गई सीएसआर राशि का विवरण

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
क्र. सं.	परियोजना आईडी	परियोजना का नाम	वित्तीय वर्ष जिसमें परियोजना शुरू की गई थी।	परियोजना अवधि	परियोजना के लिए आवंटित कुल राशि (रुपये में)।	रिपोर्टिंग वित्तीय वर्ष में परियोजना पर खर्च की गई राशि (रुपये में)	वित्तीय वर्ष की रिपोर्टिंग के अंत में खर्च की गई संवर्धी राशि। (रुपये में)	परियोजना की स्थिति – पूर्ण / जारी।
लागू नहीं								
योग								

10.	पूंजीगत संपत्ति के निर्माण या अधिग्रहण के मामले में, वित्तीय वर्ष में व्यय की गई सीएसआर के माध्यम से इस प्रकार बनाई या अर्जित की गई संपत्ति से संबंधित विवरण (संपत्ति-अनुसार विवरण) प्रस्तुत करें।							
11.	क)	पूंजीगत संपत्ति (संपत्तियों) के निर्माण या अधिग्रहण की तिथि।						शून्य
	ख)	पूंजीगत संपत्ति के निर्माण या अधिग्रहण के लिए व्यय की गई सीएसआर की राशि।						शून्य
	ग)	इकाई या सार्वजनिक प्राधिकरण या लाभार्थी का विवरण जिनके नाम पर ऐसी पूंजीगत संपत्ति पंजीकृत है, उनका पता आदि।						शून्य
	घ)	सृजित या अर्जित (पूंजीगत संपत्ति का पूरा पता और स्थान सहित) पूंजीगत संपत्ति (संपत्तियों) का विवरण प्रदान करें (संपत्तियों)।						शून्य

11. यदि कंपनी धारा 135(5) के अनुसार औसत शुद्ध) लाभ का दो प्रतिशत व्यय करने में असफल रही है तो इसका कारण प्रदान करें:

सीएसआर समिति और निदेशक मंडल ने सीएसआर व्यय की राशि को आगे ले जाने की अनुमति प्रदान कर दी है। आने वाले समय में कंपनी ने आधारभूत अध्ययन सहित आधुनिक कृषि पद्धतियों में कौशल विकास/प्रशिक्षण करारक्रम क्षेत्र में ₹29.47 लाख की राशि के रूप में विशिष्ट परियोजना को पूरा करने की योजना बनाई है। उसके अनुसार, कंपनी ने 30.04.2021 को स्वीकृत कार्यक्रम पर व्यय करने के लिए ₹29.47 लाख की अव्ययित राशि एक अलग बैंक खाते में जमा कर दी है।

हस्ता./-
विनय कुमार सिंह
(प्रबंध निदेशक)
डीआईएन संख्या: 06497700

हस्ता./-
श्रीमती अर्चना अग्रवाल
(अध्यक्ष सी एसआर समिति)
डीआईएन संख्या: 02105906

दिनांक 01.07.2021

स्थान: नई दिल्ली